131

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–56–दो/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–12–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 883/अपील/2006–07

.....

1– अवधेश प्रसाद तनय श्री रामपियोर
निवासी–ग्राम लख्हा तहसील रामपुर बाघेलान
जिला–सतना(म0प्र0)

2– रामेश्वर प्रसाद तनय श्री रामपियोर
निवासी–ग्राम लख्हा तहसील रामपुर बाघेलान
जिला–सतना(म0प्र0)

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

1– गायत्री प्रसाद तनय श्री चन्द्रभूषण तिवारी
निवासी–ग्राम लख्हा तहसील रामपुर बाघेलान
जिला–सतना(म0प्र0)

2– रामसखी पत्नी स्व0 रामसोहावन तिवारी
निवासी–ग्राम लख्हा तहसील रामपुर बाघेलान
जिला–सतना(म0प्र0)

3– धोखिया पुत्री चन्द्रभूषण पत्नी श्री सीता प्रसाद मिश्रा
निवासी–ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर,
जिला–रीवा(म0प्र0)

4– माधुरी पुत्री चन्द्रभूषण पत्नी श्री रामसुशील द्विवेदी
निवासी–ग्राम बांसा, देवियन टोला तहसील हुजूर
जिला–रीवा (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 एवं 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22-1-2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–12–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम लखहा स्थित प्रश्नाधीन भूमि आराजी क्रमांक 858, 859, एवं 860 किता 3 रकबा 5.76 एकड़ में प्रविष्टि सुधार हेतु आवेदक क्र0 1 द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115–116 के अंतर्गत आवेदन नायब तहसीलदार रामपुर बघेलान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचारोपरांत नायब तहसीलदार रामपुर बघेलान ने आवेदक क्र0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि सुधार का आवेदन स्वीकार करते हुये आवेदकगण के पक्ष में दिनांक 31.01.2007 को आदेश पारित किया । इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 82/अपील/2006–07 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 31.05.07 तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया तथा अपील स्वीकार की । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 883/अपील/2006–07 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 04.12.2007 से आवेदकगण की अपील को आधारहीन मानते हुये निरस्त किया तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित एवं न्यायासंगत मानकर यथावत रखा है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक क्रमांक 1 ने नायब तहसीलदार रामपुर बघेलान के समक्ष वादग्रस्त भूमियॉ की

प्रविष्टि 1978-79 के खसरे में सुधार किये जाने हेतु संहिता की धारा 115-116 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा था, जिस पर विचारण न्यायालय ने विचारोपरांत आवेदक क्र0 1 के द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 115 के तहत आवेदन पत्र स्वीकार किया है, जबकि संहिता की धारा 115 के तहत राजस्व अधिकारी स्वप्रेरणा में लेकर खसरा में प्रविष्टि के समय हुई त्रुटि को सुधार सकता है तथा संहिता की धारा 116 के तहत 01 वर्ष के भीतर आवेदन पेश किये जाने पर सुधार किया जा सकता है। आवेदक ने लम्बे समय के बाद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तथा विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण दर्शित नहीं किया है, जबकि विलम्ब का कारण स्पष्ट होना चाहिये। विलम्ब माफी हेतु म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम लखहा की प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी अनावेदक क्रमांक 1, अनावेदक क्र0 3 व 4 के पिता चंद्रभूषण थे तथा उक्त प्रश्नाधीन भूमि चंद्रभूषण के नाम पर दर्ज थी । **संहिता की धारा 116 में किसी व्यक्ति के द्वारा त्रुटि सुधार हेतु निर्धारित समयावधि एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रक्रिया का पालन कर उक्त त्रुटि को सुधार करने के आदेश दिये जा सकते हैं, किन्तु नवीन प्रविष्टी की अधिकारिता तहसीलदार को इस धारा के अंतर्गत प्रदान नहीं की गयी है।** तहसील न्यायालय द्वारा इन विधिक बिन्दुओं पर ध्यान दिये बगैर आदेश पारित किया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान ने अवैधानिक मानते हुये निरस्त कर विधिसंगत आदेश पारित किया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त रीवा ने कोई त्रुटि नहीं की है। दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,